अनुशंसाओं का सारांश

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकेन्द्रित प्रशासन एवं अंतरण की स्थिति की समीक्षा

1. आयोग की अनुशंसा है कि पेसा क्षेत्र में स्थापित समितियों के साथ ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए राज्य शासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश/आदेश जारी किए जाने चाहिए।(कंडिका 4.35)

2. छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतरविभागीय समिति की बैठक दिनांक 15.12.2016 को रखी गई थी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि पंचायतों को दिए जाने वाले अधिसूचित 29 विषयों को अधिकांश शासकीय विभागों द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है। कुछ विभागों द्वारा पहल की गई है, परन्तु उनके द्वारा कोष और पदाधिकारियों का हस्तांतरण अब तक नहीं किया गया है।

अतः आयोग का यह मत है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अधिसूचित कार्यकलाप चित्रण का पूरी शिद्दत के साथ पालन किया जाए।

आयोग की अनुशंसा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाए, जो पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों एवं कार्मिकों के प्रत्यायोजन/अंतरण की पूरी प्रक्रिया को इस तरह देखें कि जिससे स्थानीय शासन प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए उपचारात्मक और सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दे सकें। **(कंडिका 4.40)**

3. आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ शासन कार्यकलाप चित्रण की प्रक्रिया को समयबद्ध रीति से पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। **(कंडिका 4.41)**

पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय जवाबदेही

4. आंतरिक अंकेक्षण तथा करारोपण सहायकों के पद रिक्त होने से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उनकी सेवाओं का उपयोग संभव नहीं हो पता है।

आयोग की अनुशंसा है कि रिक्त पदों की पूर्ति की जाए एवं उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं आधारभूत सहायता उपलब्ध कराई जाए। **(कंडिका 5.16)**

5. आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अतिरिक्त कर्मी की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसे लेखों एवं कम्प्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान हो। **(कंडिका 5.27)**

6. आयोग की अनुशंसा है कि कुछ पंचायतों में पायलेट परियोजना के रूप में ग्राम सभा की कार्यवाही की "वॉयस रिकॉर्डिंग" की जा सकती है। इससे ग्राम सभा के क्रियाकलापों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी। **(कंडिका 5.28)**

7. आयोग की अनुशंसा है कि ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त कोषों से किए जाने वाले विकास कार्यों के लिए उन्हें नया रायपुर विकास प्राधिकरण से किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। **(कंडिका 5.31)**

8. आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक कोषों का आबंटन पारदर्शी तथा मानक आधार पर किया जाना चाहिए। **(कंडिका 5.33)**

ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त भौतिक सेवाओं का मूल्यांकन

9. आयोग की अनुशंसा है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक, पेयजल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना किए जाने की स्थिति में लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाए। इस संबंध में भुगतान की प्रक्रिया हेतु शर्तों का निर्धारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाए। **(कंडिका 6.8)**

10. तृतीय राज्य वित्त आयोग पुनः अनुशंसा करता है कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नल-जल योजना हेतु दिए जाने वाले अनुदान को प्रत्येक दो वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जाए एवं वर्ष में दो बार अनुदान उपलब्ध कराया जाए। राज्य शासन अनुशंसा के अनुपालन को भी सुनिश्चित कराए। **(कंडिका 6.9)**

11. आयोग की अनुशंसा है कि अनुसूची 5 के क्षेत्र की 5050 ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए रू. 5 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान अधिनिर्णय अवधि में दिया जाए। **(कंडिका 6.30)**

12. आयोग की अनुशंसा है कि सभी 146 जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास एवं स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अधिनिर्णय अवधि में रू. 20 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान दिया जाए। 75 प्रतिशत सहायता अनुदान अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए एवं 25 प्रतिशत सहायता अनुदान स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनाबद्ध रखा जाए। राज्य सरकार अनाबद्ध सहायता अनुदान के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करे। **(कंडिका 6.30)**

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधन

13. आयोग की अनुशंसा है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक तालाब निस्तारी प्रयोजन के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए और मत्स्य पालन के उद्देश्य के लिए पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए। **(कंडिका 7.4)**

14. आयोग की अनुशंसा है कि कर वसूली की वर्तमान प्रक्रिया में स्व-सहायता समूह एवं अन्य समूहों को जोड़े जाने की परंपरा को और विस्तारित किया जाना चाहिए। **(कंडिका 7.18)**

15. आयोग अनुशंसा करता है कि शासन योजनाओं की संख्या न्यूनतम करे जिससे कोषों का अपव्यय नियंत्रित किया जा सके और लक्ष्य एवं संभावित परिणामों में स्पष्टता आ सके। **(कंडिका 7.28)**

पंचायतों में डाटाबेस का उन्नयन, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं ई-गर्वनेंस का सामान्य अवलोकन

16. आयोग की अनुशंसा है कि महिला सशक्तिकरण हेतु ग्राम पंचायत के कुल पदों के दो तिहाई या उससे अधिक पदों पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत को रू. 5.00 लाख का विशेष अनुदान दिया जाए। **(कंडिका 10.3)**

17. आयोग की अनुशंसा है कि राज्य को पंचायतों के लिए ई-गवर्नेन्स के परिप्रेक्ष्य में योजना तैयार करनी चाहिए एवं ई-लोकल गवर्नेन्स प्रणाली की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक समग्र योजना बनानी चाहिए। **(कंडिका 10.17)**

शहरीकरण एवं नगरीय प्रशासन

18. आयोग की यह अनुशंसा है कि नगर पंचायतों का गठन 10,001 से 30,000 तक जनसंख्या वाले नगरों, नगर पालिका परिषद का गठन 30,001 से 2,00,000 जनसंख्या तक एवं नगर पालिक निगम का गठन 2,00,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में किया जाये। **(कंडिका 11.8)**

19. आयोग की यह भी अनुशंसा है कि पंचायत शब्द के उपयोग से होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए 'नगर पंचायत' का नाम 'नगर परिषद' किया जाए। **(कंडिका 11.8)**

20. आयोग की अनुशंसा है कि महिला सशक्तिकरण हेतु नगर पंचायत के कुल पदों के दो तिहाई या उससे अधिक पदों पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में संबंधित नगर पंचायत को रू. 5.00 लाख का विशेष अनुदान दिया जाए। **(कंडिका 11.15)**

21. नगरीय स्थानीय निकायों के प्रशासन में अपर्याप्त एवं अप्रशिक्षित कर्मियों के कारण गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

आयोग की अनुशंसा है कि राज्य शासन इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त एवं कुशल कर्मियों की व्यवस्था करे। **(कंडिका 11.19)**

22. आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों का वहन राज्य शासन करे, क्योंकि नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति इस व्यय को वहन करने योग्य नहीं है। **(कंडिका 11.19)**

23. आयोग की यह अनुशंसा है कि वर्तमान संवर्ग को व्यवस्थित किया जाए। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ नये संवर्ग का गठन किया जाए यथा- लेखा, राजस्व, पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं नगरीय नियोजन जिससे नगरीय प्रशासन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जा सके। **(कंडिका 11.20)**

24. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 11 मई 2011 छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम 2011 जारी किया गया है, परन्तु अब तक यह कार्यशील नहीं हो सका है।

आयोग अनुशंसा करता है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व विनियामक आयोग को कार्यशील किया जावे। **(कंडिका 11.21)**

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त भौतिक सेवाओं का मूल्यांकन

25. आयोग का यह अवलोकन है कि तेजी से विकसित हो रहे छत्तीसगढ़ के नगर जैसे- रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़, अम्बिकापुर में बहुमंजलीय इमारतों की भारी कमी है। ऊँची लागत की भूमि का उचित आर्थिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्नत अधोसंरचना, सेवा प्रदाय करना, सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए सम्पूर्ण तंत्र की कार्यक्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक होगा।

आयोग की यह अनुशंसा है कि सभी बड़े शहरों में कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) सभी प्रयोजनों हेतु बढ़ाया जाना चाहिए। **(कंडिका 12.17)**

नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन

26. शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक पूजा स्थल या सार्वजनिक परोपकारी, विधवा या अवयस्क या निःशक्तजन, मानसिक रूप से अक्षम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेना के सदस्य एवं उनकी विधवाएं, दृष्टिहीन, परित्यक्त महिलाएं एवं मानसिक रूप से असंतुलित, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा लगाये गये खम्भे और ऐसे अन्य मामले जिनमें राज्य शासन ने छूट देने का निर्णय लिया हो, को कर से छूट प्राप्त है। कुछ प्रकरणों में यह छूट शर्तों के साथ है।

आयोग अनुशंसा करता है कि शासन को नगर पालिक निगम अधिनियम एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम में प्रावधानित छूटों पर पुर्नविचार करना चाहिए और 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार उन्हें हटाने या तर्कसंगत बनाने पर विचार करना चाहिए। **(कंडिका 13.6)**

27. आयोग अनुशंसा करता है कि सम्पत्ति कर सहित सभी अभिलेखों का सम्यक् रूप से संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को समुचित तंत्र का विकास करना चाहिए। विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि संपत्ति कर का पुनरीक्षण कर संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इसके पश्चात् इसका पुर्ननिर्धारण प्रति 5 वर्ष में किया जावे। **(कंडिका 13.7)**

28. आयोग अनुशंसा करता है कि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यू.पी.आई. ऍप स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रारंभ में यह प्रणाली नगर पालिक निगमों में लागू की जा सकती है कालांतर में इसे अन्य नगरीय स्थानीय निकायों में भी लागू किया जा सकता है। **(कंडिका 13.10)**

29. आयोग अनुशंसा करता है कि समय पर और अग्रिम संपत्ति कर का भुगतान करने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना चाहिए और इसका विस्तृत प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। इससे प्रभावी एवं अधिक कर राजस्व की वसूली संभव हो सकेगी। **(कंडिका 13.10)**

30. आयोग यह अनुशंसा करता है कि अधिकतम दोहन की संभावना वाले बड़े नगरीय स्थानीय निकायों में विज्ञापन/होर्डिंग कर का उपयोग राजस्व बढ़ाने में किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए विज्ञापन कर लगाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। **(कंडिका 13.16)**

31. आयोग अनुशंसा करता है कि प्रक्रिया को सरल करते हुए दुकान स्थापना एवं व्यापार अनुज्ञा शुल्क दोनों को मिलाकर एकसाथ वसूल किया जाए, इससे नगरीय स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि होगी। **(कंडिका 13.20)**

32. आयोग यह अनुशंसा करता है कि स्थानीय नगरीय निकायों को अपनी क्रेडिट रेटिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे उन्हें अपनी ऋण पात्रता की सीमा मालूम हो तथा वे वित्तीय बाजार से ऋण लेने के लिए योग्य बन सकें। **(कंडिका 13.29)**

33. आयोग अनुशंसा करता है कि पर्याप्त संख्या में लेखापालों की पदस्थापना सभी नगरीय स्थानीय निकायों में की जाए और एक निश्चित समय-सीमा में अधिकारियों की आंतरिक क्षमता का विकास किया जाए। **(कंडिका 13.31)**

34. आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों को परिसंपत्तियों का स्कंध लेने के लिए एकबार ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिसमें सभी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए एक मानक प्रारूप बनाया जा सके। इस प्रारूप में संपत्तियों की भौतिक स्थिति, संख्यांक और उनका पूरा विवरण सम्मिलित होगा। इसके संचालन के लिए भी एक मानक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे ऐसे स्कंधों का अभिलेखीकरण एवं व्यवस्थापन का कार्य प्रत्येक नगरीय निकाय में निश्चित समयावधि में अद्यतन किया जा सके। ऐसे अभिलेख को बनाए रखने और उसे अद्यतन करने की जिम्मेदारी निर्दिष्ट अधिकारी को दी जानी चाहिए। **(कंडिका 13.32)**

35. आयोग अनुशंसा करता है कि वित्तीय नियंत्रण एवं पारदर्शिता हेतु नगरीय स्थानीय निकायों में पूर्व अंकेक्षण प्रणाली अपनायी जानी चाहिए। **(कंडिका 13.33)**

36. आयोग यह अनुशंसा करता है कि भूमि से हो सकने वाली आय यथा- परिवर्तन (व्यपवर्तन) शुल्क, सुधार शुल्क, विकास शुल्क आदि के स्रोत का विवरण दर्शाते हुए उपलब्ध भूमि की सूची बनाई जाए। कुर्सी क्षेत्रफल (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) पर एक निर्धारित सीमा के ऊपर शुल्क आदि का निर्धारण संपूर्ण योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत रहते हुए इसे एक पारदर्शी एवं उत्तरदायी तंत्र के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए जिससे भूमि

मूल्यांकन आधारित स्रोत का शहरी अधोसंरचना की परिसंपत्तियों के निर्माण में उपयोग किया जा सके।

(कंडिका 13.36)

37. नगरीय स्थानीय निकायों को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निम्नानुसार नगद पुरस्कार दिये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

1. कार्य निष्पादन के आधार पर एक पुरस्कार निम्न विषय पर रहेगा (वर्ग-I) -
   - स्वयं के स्रोत से अतिरिक्त आय का अर्जन (भूमि के विक्रय को छोड़कर) इसकी गणना पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में प्राप्त की गई उपलब्धि पर आधारित होगा।
   - लेखा संधारण जिसमें परिसंपत्तियों के रजिस्टर को अद्यतन रखना शामिल रहेगा।
   - उत्पादक कार्यों हेतु निर्धारित समय पर कोष का उपयोग।
2. निम्न क्षेत्रों में एक पुरस्कार सुविधाओं के प्रदाय के स्तर पर आधारित होगा (वर्ग-II) :-
   - स्वच्छता
   - स्ट्रीट लाईट
   - गंदे पानी का निकास
   - ठोस अपशिष्ट का निराकरण
   - सार्वजनिक स्थलों का रख-रखाव

पुरस्कारों हेतु राशि की आवश्यकता

(लाख रूपये में)

नगरीय स्थानीय निकाय	राज्य स्तरीय पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार की राशि	कुल राशि
नगर पालिक निगम	वर्ग - I - 1 वर्ग - II - 1	20.00 20.00	40.00
नगर पालिका परिषद	वर्ग - I - 3 वर्ग - II - 3	15.00, 10.00, 5.00 15.00, 10.00, 5.00	60.00
नगर पंचायत	वर्ग - I - 3 वर्ग - II - 3	10.00, 7.50, 5.00 10.00, 7.50, 5.00	45.00
		योग	**145.00**

पुरस्कारों हेतु नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत का चयन राज्य शासन द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा। **(कंडिका 13.39)**

38. आयोग यह अनुशंसा करता है कि वार्ड एवं मोहल्ला समितियों को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसी समितियाँ जिन्होंने सम्पत्ति कर की चालू मांग के 90 प्रतिशत तक वसूली में योगदान दिया हो के लिए उस राशि का 20 से 25 प्रतिशत तक सुरक्षित रखा जाये। यह राशि इन मोहल्ला समितियों द्वारा सुझाये गये अधोसंरचना या अन्य सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी। नागरिक समुदायों में इससे सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा न सिर्फ आय के साधनों को गतिशील बनाने में वरन् विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। आयोग का यह मत है कि इससे सक्रिय भागीदारी की संस्कृति पैदा होगी जो दीर्घकाल में सतत् विकास में सहायक होगी। **(कंडिका 13.40)**

39. आयोग अनुशंसा करता है कि पार्षद निधि की राशि अधोसंरचना कोष से देने के स्थान पर विभागीय बजट से प्रदान किया जाना चाहिए। **(कंडिका 13.41)**

नगरीय स्थानीय निकायों की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियाँ

40. आयोग की अनुशंसा है कि संचालक, नगरीय प्रशासन और विकास द्वारा सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का अभिलेखीकरण एवं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उनका अंगीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। **(कंडिका 15.7)**

सामान्य सुधार और राज्य वित्त आयोग : सामान्य अवलोकन

41. आयोग की अनुशंसा है कि चरणबद्ध तरीके से स्थानीय निकायों के सभी कार्यक्षेत्र में ई-गवर्नेंस का उपयोग अविलंब प्रांरभ किया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को ई-गवर्नेंस में प्रशिक्षित किया जाए। जिससे प्रभावी डाटा प्रबंधन, योजना और विकास कार्यों की गति बढ़ेगी तथा नागरिकों के साथ बेहतर अंर्तसंबंध स्थापित होंगे, जो प्रभावी समुदायिक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेगा। **(कंडिका 16.4)**

42. आयोग पुनः अनुशंसा करता है कि राज्य नगरीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाए। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि संस्थान स्थापित होने तक छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा रायपुर में एक पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए। **(कंडिका 16.6)**

43. आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थाओं में संचालित सभी केन्द्रीय एवं राज्य शासन की योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पंचायत की वेबसाईट के माध्यम से जनसुलभ होना चाहिए। **(कंडिका 16.7)**

44. आयोग की अनुशंसा है कि सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एकीकृत जिला विकास योजना बनाई जानी चाहिए और इसे राज्य की विकास योजना के साथ समन्वित किया जाना चाहिए। **(कंडिका 16.8)**

यह आयोग पूर्व के आयोगों की अनुशंसा को दोहराता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्ड समितियों का गठन कर इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए। **(कंडिका 16.9)**

45. आयोग अनुशंसा करता है कि नगरीय स्थानीय निकायों को अधोसंरचना विकसित करने और आय अर्जित करने वाली योजनाओं के लिए भविष्य में उपलब्ध कराई जा सकने वाली रिक्त भूमि को चिन्हांकित, सूचीबद्ध एवं दस्तावेजीकरण कर जिला प्रशासन द्वारा एक भूमि बैंक बनाया जाना चाहिए जिससे भूमि की मांग आने पर स्थानीय निकायों को भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जा सके। **(कंडिका 16.10)**

46. आयोग अनुशंसा करता है कि सामान्यतः अंतरिम अनुमानों से बचने के लिए उचित समय पर, अगले वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के प्रारंभ होने से कम से कम दो वर्ष पूर्व राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। **(कंडिका 16.11)**

47. आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य वित्त आयोग के गठन के साथ ही वित्त विभाग के वित्त आयोग प्रकोष्ठ में कार्यरत वर्ग 2, 3 और 4 कर्मचारियों को राज्य वित्त आयोग कार्यालय में संलग्न किया जाना चाहिए। **(कंडिका 16.12)**

48. आयोग की अनुशंसा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तरह ही नया रायपुर (अब अटल नगर) के सभी स्तरों को सम्मिलित करते हुए राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) का गठन किया जाना चाहिए। यह लोकतांत्रिक और विकेन्द्रीकृत प्रणाली को इस क्षेत्र के प्रबंधन और प्रशासन में प्रभावी बनाएगा। **(कंडिका 16.14)**

49. आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थानों और नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव में प्रत्याशियों के लिए कुछ शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल की जानी चाहिए। **(कंडिका 16.15)**

स्थानीय निकायों में अंतरण की योजना

50. तृतीय राज्य वित्त आयोग यह अनुशंसा करता है, कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 9 प्रतिशत भाग स्थानीय निकायों को दिया जाए। **(कंडिका 17.18)**

51. आयोग की अनुशंसा है कि अधिनिर्णय अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के लिए क्रमशः 6.91 प्रतिशत एवं 2.09 प्रतिशत स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का अंतरण किया जाए। **(कंडिका 17.19)**

52. आयोग द्वारा विभिन्न सामाजिक आर्थिक मानकों के परीक्षण उपरान्त वितरण मानदंड और भार के लिए निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है :-

1. जनसंख्या (2011 की जनगणना)	- मानदंड भार - 60%
2. भौगोलिक क्षेत्रफल	- मानदंड भार - 15%
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	- मानदंड भार - 10%
4. सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 से संबंधित वंचन सूचकांक	- मानदंड भार - 10%
5. महिला साक्षरता	- मानदंड भार -5%

(कंडिका 17.22)

53. आयोग की अनुशंसा है कि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के मध्य जिलेवार वितरण ग्राम पंचायतों को 80 प्रतिशत, जनपद पंचायतों को 15 प्रतिशत तथा जिला पंचायतों को 5 प्रतिशत की दर से होगा। तद्नुसार 5 वर्षों की अवधि में ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों के हिस्से में क्रमशः रू. 7173.52 करोड़, रू. 1345.02 करोड़ एवं रू. 448.35 करोड़ की राशि आएगी। **(कंडिका 17.23)**

54. प्रत्येक जिला पंचायत को उस जिले के कुल आबंटन का 5 प्रतिशत भाग प्राप्त होगा। वर्तमान में राज्य में 27 जिला पंचायते हैं। **(कंडिका 17.24)**

55. प्रत्येक जिले के आबंटन का 15 प्रतिशत जनपद पंचायतों को और 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को संबंधित जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर उनके बीच आबंटन किया जाएगा। **(कंडिका 17.25)**

56. तृतीय राज्य वित्त आयोग का मत है कि जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल और निष्पादन अनुदान नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त आधार हैं।

विभिन्न मानकों के परीक्षण उपरान्त वितरण मानदंड और भार के लिए आयोग द्वारा निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है :-

1. जनसंख्या (2011 की जनगणना)	- मानदंड भार - 70%
2. भौगोलिक क्षेत्रफल	- मानदंड भार - 20%
3. निष्पादन अनुदान	- मानदंड भार - 10% **(कंडिका 17.27)**

57. आयोग का सुझाव है कि निष्पादन अनुदान अंतरण के उद्देश्य हेतु 14वें वित्त आयोग द्वारा निष्पादन अनुदान हेतु सुझाई गई प्रक्रिया और प्रचालन मानदंडो का उपयोग किया जाना चाहिए। **(कंडिका 17.27)**

58. अधिनिर्णय अवधि का प्रथम वर्ष (2017-18) व्यतीत हो चुका है, जिससे इस वर्ष के लिए अनुशंसाओं के अनुसार प्राप्त कोष का उपयोग किया जाना अब संभव नहीं है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पूर्वोक्त अनुशंसाओं के आधार पर अंतरित किए जाने वाले कोष एवं पूर्व में अंतरित कोष के अंतर की राशि को कॉर्पस फंड में रखा जाना चाहिए। कॉर्पस फंड पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में बनाया जाएगा। इस फंड की राशि का मुख्य रूप से, स्थानीय निकायों में मूलभूत सेवाओं के रख-रखाव

और बुनियादी ढाँचे के विकास में उपयोग किया जा सकेगा। नियम एवं प्रक्रिया के निर्धारण का दायित्व नगरीय प्रशासन एवं विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास का होगा। **(कंडिका 17.34)**

स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान

नीचे दी गई अनुशंसाएं पृथक अनुशंसाएं नहीं है, ये पूर्व में ही संबंधित अध्यायों में अनुशंसा के रूप में सम्मिलित की गई हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान

1. आयोग की अनुशंसा है कि अनुसूची 5 के क्षेत्र की 5050 ग्राम पंचायतों की मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए रू. 5 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान अधिनिर्णय अवधि में दिया जाए।

2. आयोग की अनुशंसा है कि सभी 146 जनपद पंचायतों को अधोसंरचना विकास के लिए रू. 20 लाख का वार्षिक सहायता अनुदान अधिनिर्णय अवधि में दिया जाए। 75 प्रतिशत सहायता अनुदान अधोसंरचना संबंधी कार्यों के लिए एवं 25 प्रतिशत सहायता अनुदान स्थानीय आवश्यकताओं के लिए अनाबद्ध रखा जाए। राज्य सरकार अनाबद्ध सहायता अनुदान के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करे।

3. आयोग की अनुशंसा है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि में ग्राम पंचायतों द्वारा सामुदायिक, पेयजल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना किए जाने की स्थिति में लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाए। इस संबंध में भुगतान की प्रक्रिया हेतु शर्तों का निर्धारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाए।

4. आयोग अनुशंसा करता है कि महिला सशक्तिकरण हेतु ग्राम पंचायत के कुल पदों के दो तिहाई से अधिक पदो पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में ऐसी ग्राम पंचायत को रू. 5.00 लाख का विशेष अनुदान दिया जाए।

नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान

1. नगरीय स्थानीय निकायों को अच्छे कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप निम्नुनसार नगद पुरस्कार दिये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

क. कार्य निष्पादन के आधार पर एक पुरस्कार निम्न विषय पर रहेगा -

- (वर्ग-I) स्वयं के स्रोत से अतिरिक्त आय का अर्जन (भूमि के विक्रय को छोड़कर) इसकी गणना पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में प्राप्त की गई उपलब्धि पर आधारित होगा।
- लेखा संधारण जिसमें परिसंपत्तियों के रजिस्टर को अद्यतन रखना शामिल रहेगा।
- उत्पादक कार्यों हेतु निर्धारित समय पर कोष का उपयोग।

ख. निम्न क्षेत्रों में एक पुरस्कार सुविधाओं के प्रदाय के स्तर पर आधारित होगा (वर्ग-II) :-

- स्वच्छता
- स्ट्रीट लाईट
- गंदे पानी का निकास
- ठोस अपशिष्ट का निराकरण
- सार्वजनिक स्थलों का रख-रखाव

पुरस्कारों हेतु राशि की आवश्यकता

(लाख रूपये में)

नगरीय स्थानीय निकाय	राज्य स्तरीय पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार की राशि	कुल राशि
नगर पालिक निगम	वर्ग - I - 1 वर्ग - II - 1	20.00 20.00	40.00
नगर पालिका परिषद	वर्ग - I - 3 वर्ग - II - 3	15.00, 10.00, 5.00 15.00, 10.00, 5.00	60.00
नगर पंचायत	वर्ग - I - 3 वर्ग - II - 3	10.00, 7.50, 5.00 10.00, 7.50, 5.00	45.00
		योग	**145.00**

2. आयोग अनुशंसा करता है कि महिला सशक्तिकरण हेतु नगर पंचायत के कुल पदों के दो तिहाई से अधिक पदो पर महिलाओं के निर्वाचन की स्थिति में ऐसी नगर पंचायत को रू. 5.00 लाख का विशेष अनुदान दिया जाए।

15वें केन्द्रीय वित्त आयोग हेतु विचारणीय सुझाव

पेरास्टेटल एजेंसियों की भूमिका

राज्यों में संवैधानिक रूप से निर्वाचित नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकायों की उपस्थिति होने पर भी कई पेरास्टेटल एजेंसियाँ जैसे विकास प्राधिकरण, मिशन आदि कार्यरत हैं। इन पेरास्टेटल एजेंसियों द्वारा विकसित क्षेत्रों में भी मूलभूत नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने का भार उस क्षेत्र के स्थानीय निकायों को वहन करना पड़ता है। इसलिए स्थानीय निकाय स्वयं को, बिना किसी राजस्व प्राप्ति के सेवा प्रदाय की लागत वहन करने की हानिकारक स्थिति में पाती हैं। आयोग द्वारा आयोजित महापौर सम्मेलन में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग, केन्द्र सरकार को इस तरह के प्रावधान करने के लिए राज्यों को सलाह देने की अनुशंसा कर सकती है, कि इन पेरास्टेटल एजेंसियों को निर्वाचित स्थानीय निकायों के दायरे में लाया जाएगा।

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन

15वां केन्द्रीय वित्त आयोग राज्यों को यह मार्गदर्शी परामर्श करने पर विचार कर सकता है कि वे बिना किसी परिवर्तन के राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को स्वीकार करे, जैसा कि केन्द्रीय वित्त आयोग के संबंध में परंपरा रही है। साथ ही राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शीघ्रता से कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पेसा क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

छत्तीसगढ़ में 30.62 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है और 5050 ग्राम पंचायतें (कुल ग्राम पंचायतों का 46 प्रतिशत) पेसा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। गैर पेसा क्षेत्र की तुलना में पेसा क्षेत्र सामाजिक और भौतिक आधारभूत संरचना में बहुत पीछे हैं। आयोग का सुझाव है कि 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग छत्तीसगढ़ के पेसा क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान करने पर विचार करे।

चरम वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

छत्तीसगढ़ में 14 जिले चरम वामपंथ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये क्षेत्र शेष राज्य की तुलना में मूलभूत सेवाओं और आधारभूत संरचना की भारी कमी से पीड़ित हैं। राज्य को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता सड़क संपर्क,

मोबाईल संचार संपर्क, कौशल विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में केन्द्रित है। इन क्षेत्रों के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आयोग का सुझाव है कि 15वां केन्द्रीय वित्त आयोग समावेशी और सतत् विकास के लिए चरम वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों हेतु विशेष वित्तीय प्रावधान करने पर विचार करे।

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆